



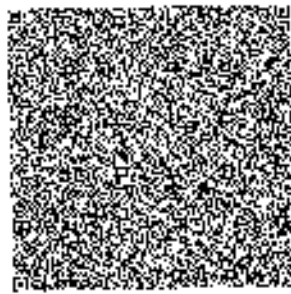
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. IN-UP00109004727519L
 Certificate Issued Date 29-Jul-2013 05:10 PM
 Account Reference SHCIL (FI)/upshcil01/ LUCKNOW/UP-LKN
 Unique Doc. Reference SUBIN-UPUPSHCIL0100111106738164L
 Purchased by ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
 Description of Document Article 35 Lease
 Property Description LAND SITUATED AT VILL HARIHARPUR HASANPUR KHEWALI M
 N GHUSWAL DEVAMAU N MAHJIGAWAN YUSUF NAGAR LKO
 Consideration Price (Rs.) 26,07,50,043
 (Twenty Six Crore Seven Lakh Fifty Thousand And Forty Three only)
 First Party LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Second Party ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
 Stamp Duty Paid By ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
 Stamp Duty Amount (Rs.) 2,33,75,000
 (Two Crore Thirty-Three Lakh Seventy Five Thousand only)



Please write or type below this line

(सचिव, सियारी)
 सचिव
 लखनऊ विकास प्राधिकरण



(सचिव, सियारी)
 सचिव
 लखनऊ विकास प्राधिकरण



0000000197

Statutory Ack:

1. The authenticity of this stamp certificate should be verified at www.e-stampsonline.in. Any discrepancy in the data of this Certificate will be
 void and the user will be liable.
 2. The user of this stamp certificate is the user of the e-Stamp.
 3. In case of any discrepancy please inform the Computer Authority.

1000

1000

मालिक्ट	—	33,38,80,000/-
स्टाम्प	—	2,38,75,000/-
परगना	—	बिजनौर

पट्टा- विलेख

यह पट्टा सन् 2013 के जुलाई मह के 30, वें दिन श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश (जिनको यहाँ आगे चलकर "पट्टादाता" कहा गया है) प्रथम नक्ष।

तथा

मेसर्स अंजल प्रॉपर्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० जो कम्पनी एक्ट, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय : 115, अंजल भवन 18, कस्तूरबा गैंगी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 के जरिये अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेश कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिवगोपाल सक्सेना निवासी फ्लैट प्लेस, वर्डोएमोसी050 बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (जिनको आगे चलकर "पट्टेदार" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

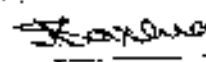
1. चूंकि पट्टेदार एक आवास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद-भाव किये बिना सभी के लिये आवास निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है

और चूंकि हाईटेक टाउनशिप नीति विश्वक शासनादेश 6087/9-आ-1-2003-34वे०/03 दिनांक 22.11.2003 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतदपश्चात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है।

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुरोध में इस विलेख की अनुरूपी में वर्णित ग्राम-देवानल परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 2,647 (दो दशमलव छः चार सात) हेक्टेयर व ग्राम-शुक्लपुर बगियामल परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 13,908 (तेरह दशमलव नौ शून्य छः) हेक्टेयर व ग्राम-मेजामपुर मझिगाँवा परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 8,218 (नौ दशमलव दो एक आठ) हेक्टेयर व ग्राम-मुजफ्फरपुर मुसल परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 27,805 (सत्ताईस दशमलव आठ शून्य पांच) हेक्टेयर व ग्राम-हरानपुर खेयली परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 9,350 (नौ दशमलव तीन पांच शून्य) हेक्टेयर व ग्राम-हरिहरपुर परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 5,479 (पांच दशमलव चार सात नौ) हेक्टेयर इस प्रकार कुल मिलाकर 68,405 (अड़सठ दशमलव चार शून्य पांच) हेक्टेयर, ग्राम समाज की भूमि को, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1345/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1346/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1340/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1347/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1344/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010 एवं 1343/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010 के अधीन उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी दिनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1951) की धारा-117 की उपधारा (b) के अन्तर्गत पुनर्हीन कर लिया गया है और जो सभी प्रकार के मारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गयी है।


श्री. सी. के. सिंग
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For State Proprietors & Intention of the State


Shri. S. K. Singh

100

100

अतः शासनादेश संख्या-प्र.स. 474/एक-1-2008-5-1(48)/2008-79 दिनांक 18.12.2008 द्वारा पट्टेदार के नाम के आगे अभिव्यक्त अधिकारों निर्बन्धनों एवं विभिन्न प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के अधीन उक्त नीति के अनुसार हाईटेक टाउनशिप के विकास के प्रयोजन (जिसे एतदपरचात "निर्धारित प्रयोजन" कहा गया है) से पट्टेदार को हस्तांतरित करने के लिये पट्टेदाता सहमत हुये हैं।

3. अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित गवर्नमेंट ग्रान्दरा एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई० का एक्ट संख्या-15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि नजराना रु०-26,02,37,002/- (छब्बीस करोड़ दो लाख सैंतौंस हजार दो रुपये) मात्र व मालगुजारी का 150 गुना रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र की धनराशि जो भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ की मुख्य शाखा में क्रमशः चालान सं०-जी०-100085, जी०-100057, जी०-100058, जी०-100066, जी०-090347, जी०-100060, जी०-100052, जी०-100067, जी०-100059, जी०-100064, जी०-100056, जी०-100063, जी०-100055 क्रमशः दिनांक 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 22.09.12, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10 के माध्यम से विजराफा/पट्टेदार द्वारा जमा कर दिया गया है, मात्र के प्रीमियम (जिसकी प्रति पट्टेदाता एतद्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित पार्षिक किराया रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टेदाता एतद्वारा वह सब भूलखुल, जिनका निवरण इसकी अनुसूची में न दिया है और जो स्पर्दीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे उक्त "भूमि" कहा जायेगा), पट्टेदार को सन् 2013 ई० के जुलाई माह के 23^{रें} दिना से 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर निम्न शर्तों पर हस्तांतरित करते हैं : इस अधिपत्य के उपलब्ध में उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अंग्रेजी माह जुलाई के पहले सप्ताह में कलेक्टर-लखनऊ के कार्यालय में या पट्टेदाता द्वारा रजिस्टर-समय पर निश्चित स्थान पर या स्थानों पर भुगतान करेगा।

और पट्टेदाता से पट्टेदार निम्न प्रसंविदा करता है :-

1. यह कि पट्टेदार द्वारा प्रशंगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा, जिसके लिए भूमि दी जा रही है।
2. यह कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर भूमि का पट्टा शासन/प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का अधिकार पट्टेदाता को होगा।
3. यह कि पट्टेदार को प्रशंगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह उसे शान/प्राधिकरण को वापस कर देगा।
4. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का लब्धा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्मित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
5. यह कि पट्टेदार को पट्टे की भूमि दिना क्रम के राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु उनके पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि पट्टेदार द्वारा शासन को बाजार दर पर पट्टे की भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है।
6. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टेदाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रशंगत भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा लेकिन पट्टे की संश्लेषित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(हस्ताक्षर)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण

(हस्ताक्षर)

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण

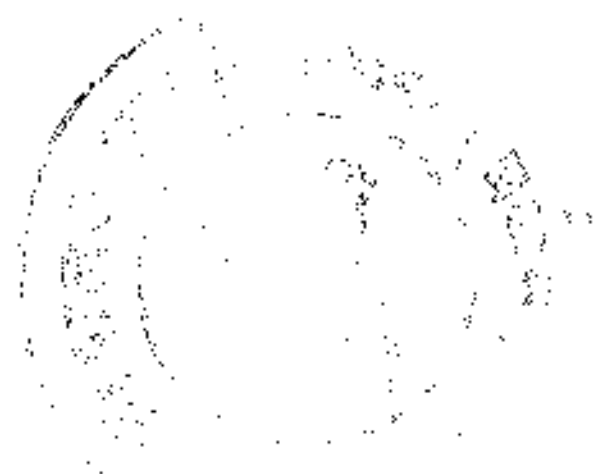
100

100



- किन्तु सत्तः प्रतिबन्ध है कि विरोध इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर जब कभी उपर्युक्त किसी अथवा किसी निश्चित भाग को निश्चित दिशि के प्रज्ञात एक माह तक भुगतान न होगा। वही वह विधितः मांगा गया हो या न मांगा गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसिद्धियों में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसके पालन न करेगा तब और ऐसी किसी दशा में पट्टेदाता ने गले ही अपने पुनः प्रवेश करने के अधिकार को छोड़ दिया हो, उक्त भूमि में पुनः प्रवेश संभव है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अध्यापियों को वहां से निकाल सकता है और तब वह हस्तान्तरण बिबकुल निरस्त हो जायेगा तथा उक्त भूमे पर निर्मित भवन को हटाने अथवा उसके संबंध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार शङ्कित हो जायेंगे।

Rekening
Gedrukt op 31 Januari.



यह कि प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है उस के अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह उस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाणपत्र पर जो अन्तिम निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि हस्तान्तरित उक्त भूमि की पट्टादाता को किसी भी समय अपने कार्य के लिए आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि वह पट्टेदार को उक्त भूमि पर उस समय खड़े किसी भवन को हटाने की एक माह की नोटिस दे और यह भी कि उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो माह के भीतर उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले किन्तु शर्त यह है कि यदि पट्टादाता उक्त भूमि पर पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी भवन को हट करवाना चाहे तो पट्टेदार को उस भवन के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

और पट्टादाता, पट्टेदार से प्रस्तावित करता है कि यदि पट्टेदार ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर और उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर और उसके पश्चात रागद-समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूमि का गदा गद्द नवीनीकरण के रूप में 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिये निष्पादित करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अदियों इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 (नब्बे) वर्ष से अधिक न हो और पट्टादाता कोई ऐसे नवीनीकरण स्वीकार करने के लिये बन्ध नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह ऐसी किराये की दर पर हो जो उक्त भूमि के सम्बन्ध में उस समय दिया जा रहा है अथवा यदि वह पसन्द करे तो ऐसी बढ़ाई हुई दर पर हो जो उस किराये के 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तदनुसार निर्धारित की जाये और उस अवधि के जो स्वीकार की जाये उक्त भूमि के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख को केवल उन्हीं प्रसिद्धियों, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों का सनावेश होगा जो उस समय लागू होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिष्वयों का भुगतान करेगा जो हस्तान्तरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होगा।

और इस विलेख के दोनों पक्ष अग्रोपर करार करते हैं कि :-

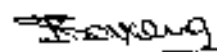
- (क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
- (ख) उक्त भूमि के हस्तान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं नाज्य होगा।
- (ग) उक्त भूमि पर जो उसके नीचे दिये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।
- (घ) पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा पट्टेदार को प्रदत्त किया जायेगा।

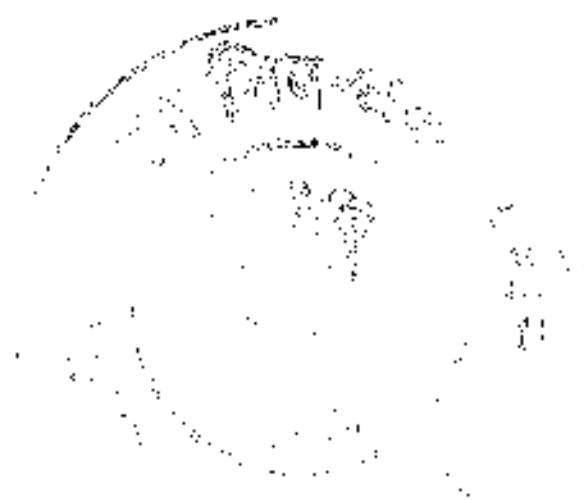
4. भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा / गाँव सं०	क्षेत्रफल हेक्टेयर	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	लखनऊ	विजनीर	देवागऊ	7	0.018	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्देश पर पट्टे हेतु लखनऊ विकास

(१० को/सिक्की)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सहस्रपादक निदेशिका के अनुसार जारी

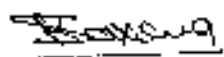

आधिकारिक निदेशिका



						प्रतिक्षण द्वारा एडिटेड टाइमिंग हेतु।
2					11	0.464
3					17	0.403
4					21	0.018
5					25	0.014
6					40	0.020
7					45	0.069
8					49	0.010
9					56	0.009
10					61	0.015
11					64	0.006
12					68	0.012
13					69	0.032
14					71	0.013
15					75	0.026
16					76	0.011
17					79	0.011
18					83	0.010
19					91	0.057
20					91	0.057
21					93	0.017
22					105	0.183
23					117	0.087
24					118	0.013
25					122	0.187
26					24/246	0.885
			कुल योग	26 गाटा		2.647
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	सुभाषनगर डफ महियानऊ	40	2.296
2					75	0.039
3					79	0.008
4					88	0.030
5					90	0.011
6					93	0.005
						गाटाएं एवं कच्ची डिस्टेंस केन्द्रों के निर्माण पर एडिटेड द्वारा लखनऊ विमान प्रतिक्षण द्वारा एडिटेड टाइमिंग हेतु।
						संपरीक्षणानुसार
						उपरोक्तानुसार
						उपरोक्तानुसार
						उपरोक्तानुसार
						उपरोक्तानुसार


 (एडिटेड) सिधाली
 सचिव
 लखनऊ विमान प्रतिक्षण

प्रतिक्षण द्वारा एडिटेड टाइमिंग हेतु।

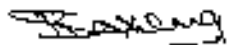

 सिधाली, एडिटेड



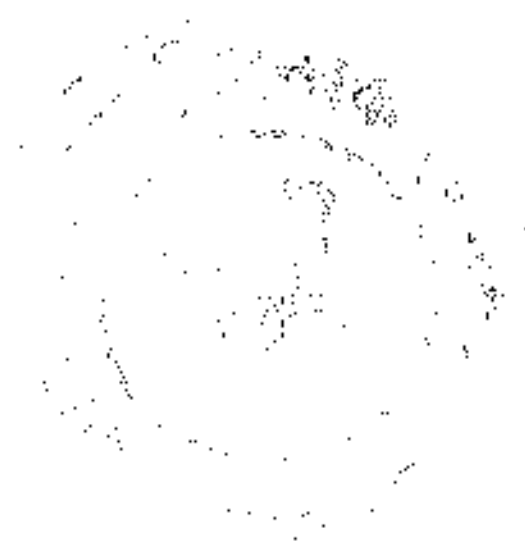
7			98	0.038	उपरोक्तानुसार
8			101	0.266	उपरोक्तानुसार
9			108	0.033	उपरोक्तानुसार
10			116	0.038	उपरोक्तानुसार
11			121	0.126	उपरोक्तानुसार
12			122	0.014	उपरोक्तानुसार
13			128	0.163	उपरोक्तानुसार
14			129	0.017	उपरोक्तानुसार
15			135	0.040	उपरोक्तानुसार
16			135	0.063	उपरोक्तानुसार
17			140	0.014	उपरोक्तानुसार
18			141	0.041	उपरोक्तानुसार
19			151	0.512	उपरोक्तानुसार
20			156	0.076	उपरोक्तानुसार
21			158	0.019	उपरोक्तानुसार
22			159	0.218	उपरोक्तानुसार
23			162	0.126	उपरोक्तानुसार
24			163	0.076	उपरोक्तानुसार
25			164	0.039	उपरोक्तानुसार
26			167	0.031	उपरोक्तानुसार
27			171	0.190	उपरोक्तानुसार
28			178	0.008	उपरोक्तानुसार
29			182	0.099	उपरोक्तानुसार
30			189	0.126	उपरोक्तानुसार
31			192	0.023	उपरोक्तानुसार
32			215	0.013	उपरोक्तानुसार
33			218	0.231	उपरोक्तानुसार
34			225	0.027	उपरोक्तानुसार
35			224	0.155	उपरोक्तानुसार
37			241	0.075	उपरोक्तानुसार
38			242	0.215	उपरोक्तानुसार
39			245	0.066	उपरोक्तानुसार
40			244	0.139	उपरोक्तानुसार
41			245	0.063	उपरोक्तानुसार
42			252	0.051	उपरोक्तानुसार


 The Engineer
 Section
 District Water Department

Regional Properties & Infrastructure


 Designated Engineer

10.



43			254	0.152	उपरोक्तानुसार
44			252 31	1.468	उपरोक्तानुसार
45			251	0.051	उपरोक्तानुसार
46			276	0.025	उपरोक्तानुसार
47			292	0.028	उपरोक्तानुसार
48			286	0.006	उपरोक्तानुसार
49			286	0.013	उपरोक्तानुसार
50			286	0.033	उपरोक्तानुसार
51			297	0.304	उपरोक्तानुसार
52			293	0.114	उपरोक्तानुसार
53			300	0.076	उपरोक्तानुसार
54			303	0.303	उपरोक्तानुसार
55			303	0.253	उपरोक्तानुसार
56			313	0.366	उपरोक्तानुसार
57			325	0.025	उपरोक्तानुसार
58			323	0.940	उपरोक्तानुसार
59			325	0.019	उपरोक्तानुसार
60			337	0.017	उपरोक्तानुसार
61			342	0.190	उपरोक्तानुसार
62			347	0.051	उपरोक्तानुसार
63			350	1.000	
64			361	0.266	उपरोक्तानुसार
65			364	0.037	उपरोक्तानुसार
66			368 31	0.053	उपरोक्तानुसार
67			368 31	0.035	उपरोक्तानुसार
68			367	0.126	उपरोक्तानुसार
69			369	0.040	उपरोक्तानुसार
70			370	0.048	उपरोक्तानुसार
71			372	0.405	उपरोक्तानुसार
72			376	0.536	उपरोक्तानुसार
73			374	0.242	उपरोक्तानुसार
74			379	0.062	उपरोक्तानुसार
75			332	0.784	उपरोक्तानुसार
76			105/307	0.005	उपरोक्तानुसार
कुल योग			75 3161	13.906	


 १०/०५/२०२३

उपरोक्त प्रमाणित & इंटरप्रिटर के रूप में

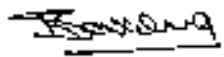

 Authorised Signatory



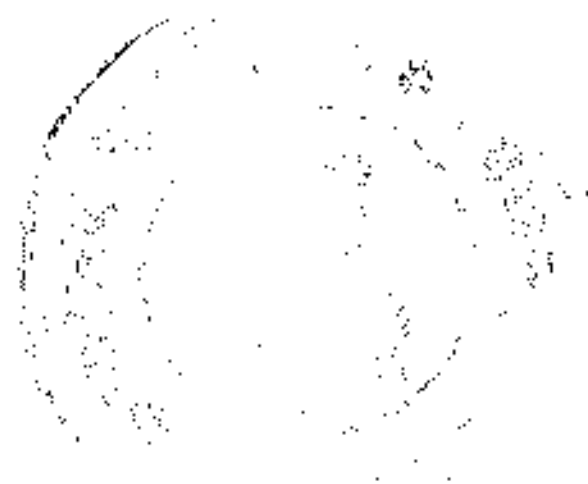
1	लखनऊ लखनऊ इंजनीर	निजामपुर गझियाबाद	3	0.065	जामना एवं शाही निजामपुर निवासी के निर्देशन पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क कार्य शीघ्र करें।
2			7	0.017	उपरोक्तानुसार
3			11	0.024	उपरोक्तानुसार
4			14	0.079	उपरोक्तानुसार
5			20	0.102	उपरोक्तानुसार
6			25	0.017	उपरोक्तानुसार
7			28	0.012	उपरोक्तानुसार
8			32	0.022	उपरोक्तानुसार
9			34	0.051	उपरोक्तानुसार
10			35	0.089	उपरोक्तानुसार
11			36	0.266	उपरोक्तानुसार
12			40	0.029	उपरोक्तानुसार
13			44	0.022	उपरोक्तानुसार
14			45	0.047	उपरोक्तानुसार
15			46	0.017	उपरोक्तानुसार
16			53	0.017	उपरोक्तानुसार
17			56	0.172	उपरोक्तानुसार
18			64	0.177	उपरोक्तानुसार
19			65	0.082	उपरोक्तानुसार
20			69	0.073	उपरोक्तानुसार
21			77	0.023	उपरोक्तानुसार
22			79	0.008	उपरोक्तानुसार
23			84	0.658	उपरोक्तानुसार
24			89	0.022	उपरोक्तानुसार
25			92	0.025	उपरोक्तानुसार
26			93	0.028	उपरोक्तानुसार
27			96	0.013	उपरोक्तानुसार
28			99	0.079	उपरोक्तानुसार
29			101	0.014	उपरोक्तानुसार
30			103	0.253	उपरोक्तानुसार
31			106	0.027	उपरोक्तानुसार
32			108	0.013	उपरोक्तानुसार
33			110	0.936	उपरोक्तानुसार


 (एन सी ई सी)
 अधिकारी
 लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

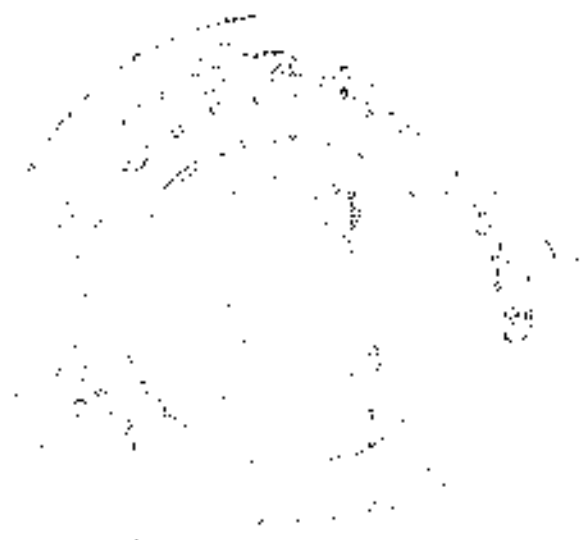

 (एन सी ई सी)
 अधिकारी

10/10/10



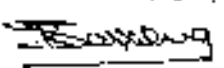
34				112	0.174	उपरोक्तानुसार
35				117	0.023	उपरोक्तानुसार
36				118	0.923	उपरोक्तानुसार
37				120	0.253	उपरोक्तानुसार
38				123 पी	0.588	उपरोक्तानुसार
39				132	0.089	उपरोक्तानुसार
40				135	0.023	उपरोक्तानुसार
41				148	0.190	उपरोक्तानुसार
42				142	0.008	उपरोक्तानुसार
43				146	0.011	उपरोक्तानुसार
44				150 पी	0.076	उपरोक्तानुसार
45				150 ई	0.057	उपरोक्तानुसार
46				157	0.042	उपरोक्तानुसार
47				160	0.020	उपरोक्तानुसार
48				166	0.029	उपरोक्तानुसार
49				169	0.011	उपरोक्तानुसार
50				173	0.040	उपरोक्तानुसार
51				176	0.304	उपरोक्तानुसार
52				183	0.392	उपरोक्तानुसार
53				184	1.049	उपरोक्तानुसार
54				188	0.023	उपरोक्तानुसार
55				191	0.017	उपरोक्तानुसार
56				193	0.102	उपरोक्तानुसार
57				202	0.043	उपरोक्तानुसार
58				223	0.354	उपरोक्तानुसार
59				231	0.010	उपरोक्तानुसार
60				235	0.095	उपरोक्तानुसार
61				242	0.019	उपरोक्तानुसार
62				255	0.102	उपरोक्तानुसार
63				262	0.063	उपरोक्तानुसार
64				264	0.114	उपरोक्तानुसार
65				271	0.072	उपरोक्तानुसार
66				274	0.022	उपरोक्तानुसार
67				275	0.076	उपरोक्तानुसार
68				278	0.042	उपरोक्तानुसार

14

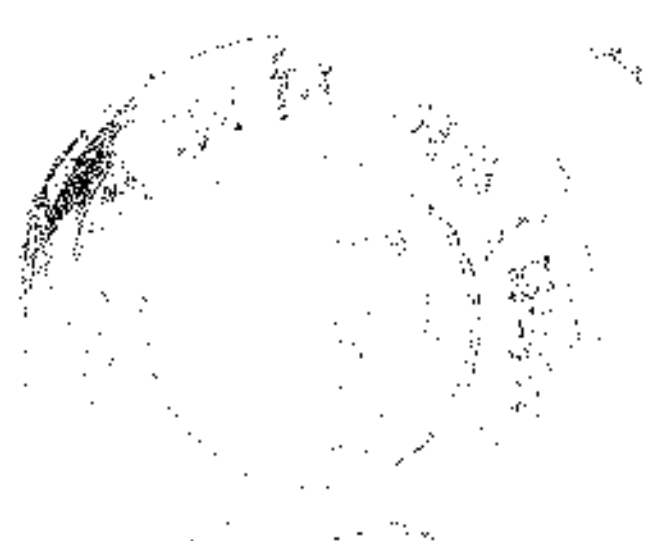


69				292	0.053	उपशेकानुसार
70				290	0.063	उपशेकानुसार
71				331	0.020	उपशेकानुसार
72				328	0.081	उपशेकानुसार
73				213/496	0.016	उपशेकानुसार
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	कूल मीन 73 गाटा मुजफ्फर नगर मुसतन	9.218 0.002	आवागमन एवं शहरी डिजिटल विभाग के निर्देश पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शहरीक लाइनशिप हेतु।
2				9	3.642	उपशेकानुसार
3				12 स	0.114	उपशेकानुसार
4				14	0.190	उपशेकानुसार
5				16	0.506	उपशेकानुसार
6				25	0.023	उपशेकानुसार
7				29	0.025	उपशेकानुसार
8				42	0.012	उपशेकानुसार
9				43	0.036	उपशेकानुसार
10				47	0.036	उपशेकानुसार
11				54 स	0.074	उपशेकानुसार
12				64 स	0.006	उपशेकानुसार
13				59 स	0.696	उपशेकानुसार
14				59	0.822	उपशेकानुसार
15				60	0.645	उपशेकानुसार
16				67	0.008	उपशेकानुसार
17				72	0.003	उपशेकानुसार
18				77	0.126	उपशेकानुसार
19				62	0.051	उपशेकानुसार
20				68	0.063	उपशेकानुसार
21				93	0.102	उपशेकानुसार
22				110	0.036	उपशेकानुसार
23				111	0.079	उपशेकानुसार
24				119	0.021	उपशेकानुसार
25				122	0.011	उपशेकानुसार
26				129	0.077	उपशेकानुसार
27				129	0.036	उपशेकानुसार


 (श्री पी.के. सिंग) सचिव
 लखनऊ विकास प्राधिकरण


 (श्री पी.के. सिंग) सचिव

100



28				145	0.042	डायरीका नुसार
29				149	0.051	डायरीका नुसार
30				153	0.143	डायरीका नुसार
31				155	0.017	डायरीका नुसार
32				162	0.052	डायरीका नुसार
33				163	0.025	डायरीका नुसार
34				167	0.029	डायरीका नुसार
35				168	0.031	डायरीका नुसार
36				174	0.008	डायरीका नुसार
37				179	0.164	डायरीका नुसार
38				182 स	0.063	डायरीका नुसार
39				187	0.164	डायरीका नुसार
40				181	0.033	डायरीका नुसार
41				136	0.017	डायरीका नुसार
42				201	0.010	डायरीका नुसार
43				205	0.063	डायरीका नुसार
44				207	0.079	डायरीका नुसार
45				209	0.022	डायरीका नुसार
46				211	0.038	डायरीका नुसार
47				218 स	0.607	डायरीका नुसार
48				232	0.607	डायरीका नुसार
49				231 स	0.253	डायरीका नुसार
50				241	0.281	डायरीका नुसार
51				243	0.032	डायरीका नुसार
52				248	0.022	डायरीका नुसार
53				258	0.077	डायरीका नुसार
54				259	0.004	डायरीका नुसार
55				270	0.059	डायरीका नुसार
56				272	0.031	डायरीका नुसार
57				279	0.139	डायरीका नुसार
58				277	0.026	डायरीका नुसार
59				279	0.076	डायरीका नुसार
60				288	0.058	डायरीका नुसार
61				280	0.063	डायरीका नुसार
62				306	1.085	डायरीका नुसार

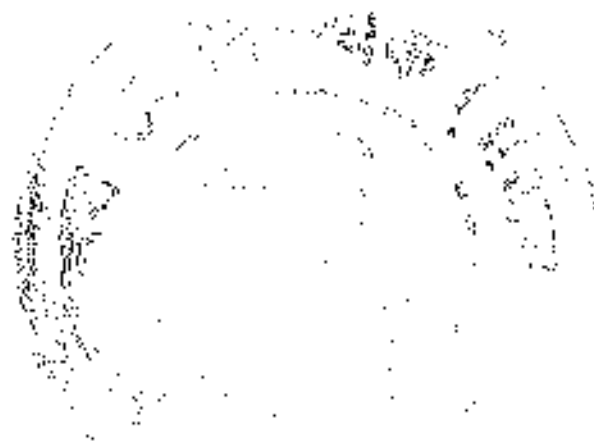

 (.....)

Site Visit Procedures & Infrastructure, cm

Handwritten:

കേൾക്കുകയും ചെയ്യും.

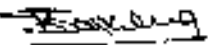
100



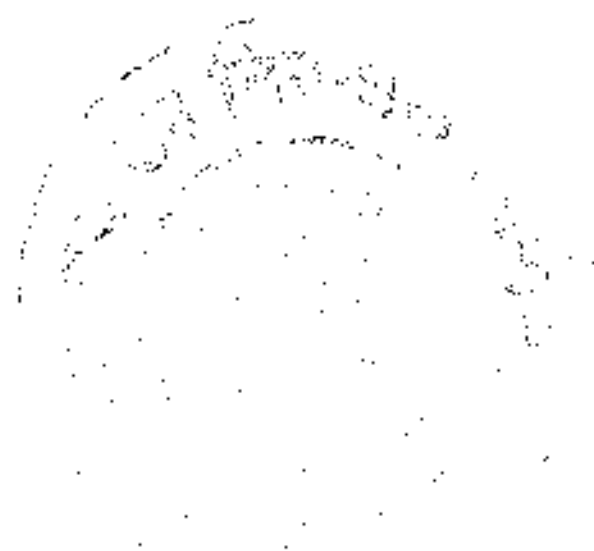
63			308	ज	1.426	उपरोक्तानुसार
64			310	स	0.964	उपरोक्तानुसार
65			310	रा	0.200	उपरोक्तानुसार
66			319		0.002	उपरोक्तानुसार
67			325		0.014	उपरोक्तानुसार
68			324		0.078	उपरोक्तानुसार
69			337		0.027	उपरोक्तानुसार
70			340		0.006	उपरोक्तानुसार
71			341		0.023	उपरोक्तानुसार
72			343		0.012	उपरोक्तानुसार
73			340		0.006	उपरोक्तानुसार
74			354		0.004	उपरोक्तानुसार
75			368	रा	0.579	उपरोक्तानुसार
76			366		0.038	उपरोक्तानुसार
77			368		0.025	उपरोक्तानुसार
78			371		0.016	उपरोक्तानुसार
79			382		0.012	उपरोक्तानुसार
80			384		0.006	उपरोक्तानुसार
81			386		0.042	उपरोक्तानुसार
82			390		0.010	उपरोक्तानुसार
83			416	स	2.339	उपरोक्तानुसार
84			417		4.552	उपरोक्तानुसार
85			444	रा	0.022	उपरोक्तानुसार
86			444	स	0.029	उपरोक्तानुसार
87			448		0.016	उपरोक्तानुसार
88			448		0.010	उपरोक्तानुसार
89			461		0.013	उपरोक्तानुसार
90			453		0.020	उपरोक्तानुसार
91			466		0.582	उपरोक्तानुसार
92			464		0.016	उपरोक्तानुसार
93			467		0.025	उपरोक्तानुसार
94			477		0.013	उपरोक्तानुसार
95			470		0.019	उपरोक्तानुसार
96			479		0.013	उपरोक्तानुसार
97			482		0.013	उपरोक्तानुसार


 (रिप. की संख्या)
 सचिव
 लखनऊ विभाग अधिकारी

लखनऊ विभाग अधिकारी
 लखनऊ विभाग अधिकारी


 लखनऊ विभाग अधिकारी

लखनऊ विभाग अधिकारी



98					481	0.033	उपरोक्त नुसार
99					480	0.023	उपरोक्त नुसार
100					482	0.020	उपरोक्त नुसार
101					489	0.347	उपरोक्त नुसार
102					527	0.033	उपरोक्त नुसार
103					511	0.051	उपरोक्त नुसार
104					517	0.018	उपरोक्त नुसार
105					516	0.018	उपरोक्त नुसार
106					523	0.017	उपरोक्त नुसार
107					527	0.035	उपरोक्त नुसार
108					522	0.036	उपरोक्त नुसार
109					523	0.027	उपरोक्त नुसार
110					540	0.004	उपरोक्त नुसार
111					541	0.026	उपरोक्त नुसार
112					546	0.916	उपरोक्त नुसार
113					546	0.076	उपरोक्त नुसार
114					551	0.010	उपरोक्त नुसार
115					554	0.013	उपरोक्त नुसार
116					557	0.038	उपरोक्त नुसार
117					559	0.430	उपरोक्त नुसार
118					561	0.092	उपरोक्त नुसार
119					562	0.089	उपरोक्त नुसार
120					561 स	0.114	उपरोक्त नुसार
121					532	0.063	उपरोक्त नुसार
122					552 स	0.062	उपरोक्त नुसार
123					554 स	0.253	उपरोक्त नुसार
124					583	0.104	उपरोक्त नुसार
125					590	0.040	उपरोक्त नुसार
126					597	0.025	उपरोक्त नुसार
127					602	1.417	उपरोक्त नुसार
128					606	0.304	उपरोक्त नुसार
129					602 / 601	0.006	उपरोक्त नुसार
				कुल योग	129 गांव	27,805	
1	लखनऊ	लखनऊ	विजौरी	इसनपुर खेपड़ी	18	0.020	आवास एवं सड़क निर्माण विभाग के निर्माण पर खर्चे हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस्टीमेट द्वारा किए

(फो फो निवासी)
सचिव
तारुणजी अंकुश प्रशिक्षण

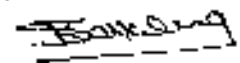
2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454



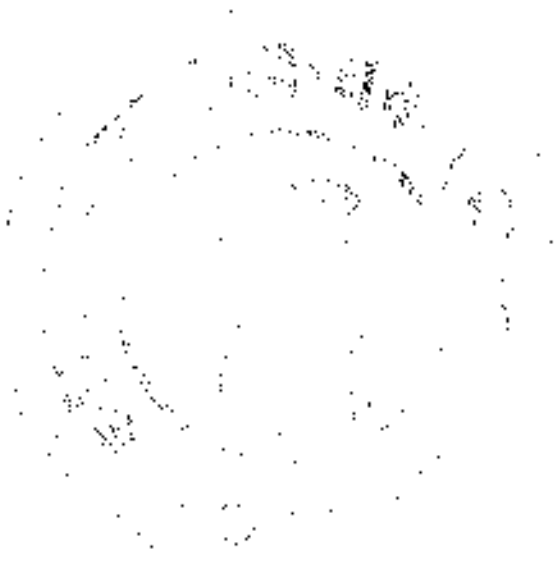
					કેદુ	
2				58 નો	0.050	ઝમરોચાનુસાર
3				60	0.035	ઝમરોચાનુસાર
4				62	0.925	ઝમરોચાનુસાર
5				67	0.316	ઝમરોચાનુસાર
6				88	0.443	ઝમરોચાનુસાર
7				69	0.139	ઝમરોચાનુસાર
8				81	0.392	ઝમરોચાનુસાર
9				82	0.038	ઝમરોચાનુસાર
10				83	0.557	ઝમરોચાનુસાર
11				88	0.253	ઝમરોચાનુસાર
12				100	0.114	ઝમરોચાનુસાર
13				102	0.032	ઝમરોચાનુસાર
14				111	0.052	ઝમરોચાનુસાર
15				118	0.012	ઝમરોચાનુસાર
16				124	0.139	ઝમરોચાનુસાર
17				125	0.152	ઝમરોચાનુસાર
18				136	0.021	ઝમરોચાનુસાર
19				141	0.025	ઝમરોચાનુસાર
20				142	0.582	ઝમરોચાનુસાર
21				146	0.493	ઝમરોચાનુસાર
22				148	0.021	ઝમરોચાનુસાર
23				152	0.017	ઝમરોચાનુસાર
24				188	0.487	ઝમરોચાનુસાર
25				201	0.029	ઝમરોચાનુસાર
26				203	0.013	ઝમરોચાનુસાર
27				208	0.253	ઝમરોચાનુસાર
28				212	0.559	ઝમરોચાનુસાર
29				216	0.200	ઝમરોચાનુસાર
30				210	0.607	ઝમરોચાનુસાર
31				241	0.126	ઝમરોચાનુસાર
32				242	0.139	ઝમરોચાનુસાર
33				248	0.038	ઝમરોચાનુસાર
34				251	0.025	ઝમરોચાનુસાર
35				254	0.177	ઝમરોચાનુસાર

(૧૦ ઈન સિગ્નરી)
અધિક
નિસ્સર
વિકાસ પ્રાધિકરણ

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ ડેવલપમેન્ટ & રિસોર્સીસ


Superintendent of Development & Resources

10



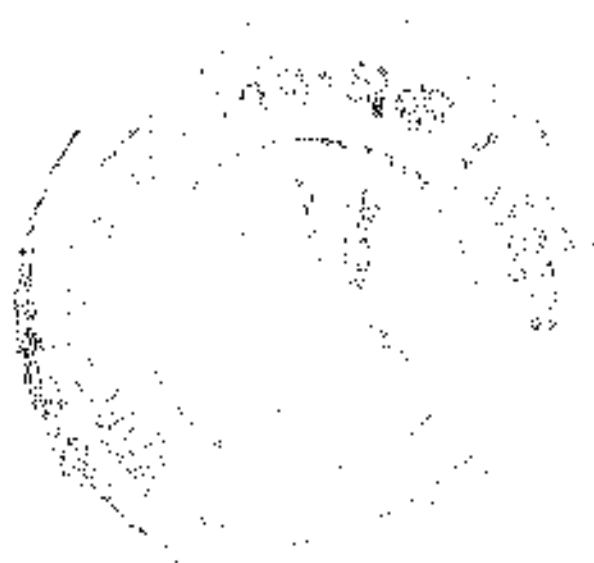
36			257	0.126	अपरोक्षानुसार
37			271	0.204	अपरोक्षानुसार
38			271	0.316	अपरोक्षानुसार
39			273 पी	0.748	अपरोक्षानुसार
40			274	0.455	अपरोक्षानुसार
		कुल योग	40 गांव	9.350	
1	लखनऊ लखनऊ बिजनौर हरिहरपुर		572	0.999	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रण पर रहने हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईडेंज हाउसिंग हेतु।
2			572 पी	0.596	अपरोक्षानुसार
3			574	0.177	अपरोक्षानुसार
4			575	0.170	अपरोक्षानुसार
5			579	0.063	अपरोक्षानुसार
6			520	0.417	अपरोक्षानुसार
7			522 पी	0.108	अपरोक्षानुसार
8			523 पी	0.304	अपरोक्षानुसार
9			525	0.044	अपरोक्षानुसार
10			526	0.028	अपरोक्षानुसार
11			526	0.453	अपरोक्षानुसार
12			530	0.114	अपरोक्षानुसार
13			584	0.096	अपरोक्षानुसार
14			576	0.379	अपरोक्षानुसार
15			581	0.031	अपरोक्षानुसार
16			585 पी	0.253	अपरोक्षानुसार
17			599	0.089	अपरोक्षानुसार
18			611	0.246	अपरोक्षानुसार
19			615	1.000	अपरोक्षानुसार
		कुल योग	19 गांव	5.479	

यह कि इस विलेख के माध्यम से पट्टे पर दी जा रही भूमि में से क्षेत्रफल 26,771 हेक्टेयर, ग्राम-देवामऊ व ग्राम-मुसुफनगर बगियाबाग व ग्राम-निजामपुर मझिगांव परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रु0-35,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रु0-9,01,98,500/- होता है तथा ग्राम मुजफ्फरनगर धुरवल व ग्राम-हसनपुर खेवली परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 37,155 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार उक्त ग्राम अर्द्धनगरीय क्षेत्र के दिशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रु0-66,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रु0-20,80,88,000/- होता है व ग्राम हरिहरपुर परगना-बिजनौर तहसील

20/05/2024
 20/05/2024
 20/05/2024

20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024

20/05/2024
 20/05/2024



न जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 5.478 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अन्ति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रु0-85,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रु0-3,56,13,500/- होता है। इस प्रकार कुल मूल्यांकन रु0-33,38,80,000/- होता है। चूंकि इस विलेख में नजराने की धनराशि रु0 26,02,37,002/- (छब्बीस करोड़ दो लाख सैंतीस हजार दो रुपये) व 1 वर्ष का लीज रेंट रु0-5,13,041/- (पांच लाख तीस हजार इकतालीस रुपये) सहित कुल धनराशि रु0-26,07,50,043/- अदा की गयी है। अतः सर्वोच्च मूल्यांकन रु0-33,38,80,000/- पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से रु0-2,33,71,600/- का स्टाम्प शुल्क देय होता है पालस्थरूप रु0-2,33,75,000/- का स्टाम्प शुल्क पट्टेदार द्वारा ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP00109004727519L के द्वारा अदा कर दिया गया है।

इस पट्टा विलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से एवं उनके द्वारा शासनादेश संख्या-1180(1)/8 3-12-122एल0र0/08 दिनांक 01.08.2012 के माध्यम से अधिकृत श्री अष्टमुजा तिवारी, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा पट्टेदार की ओर से अधिकृत श्री सुशील कुमार सक्सेना वहीशिक्षा अधिकृत इलाहाबादी वास्ते गेसर्स अंसल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिड ने नीचे उन दोनों के हस्ताक्षर करा दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे दी गयी हैं।

साक्षीगण :

1. 80

नाम...समरेन्द्र प्रताप सिंह

पिता का नाम...श्री-बन्ट राम प्रताप सिंह

पता 13, रामप्रताप मार्ग, हजरतगंज
लखनऊ

(सचिव तिवारी)
पट्टादाता की ओर से
एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण
02/01

2. 80

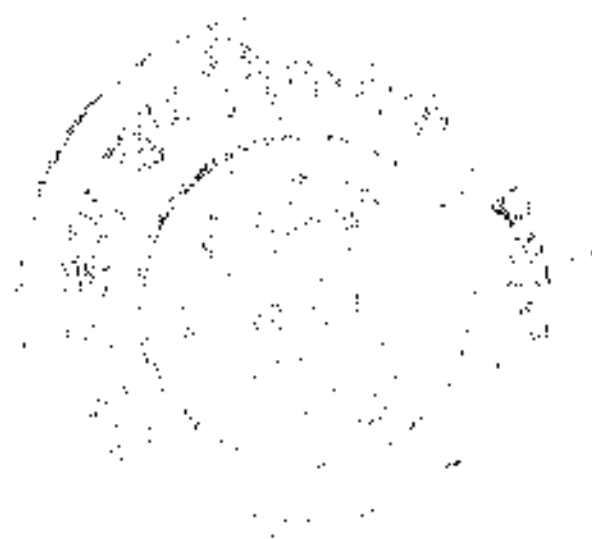
नाम...Biswanda Pratap Singh

पिता का नाम...Late Sri G. P. Singh

पता 13, Ram Pratap Marg
Lucknow

नोट: इसके प्रमाणपत्र के लिए प्रमाणित किया जाता है

(सचिव तिवारी)
पट्टेदार की ओर से
एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण

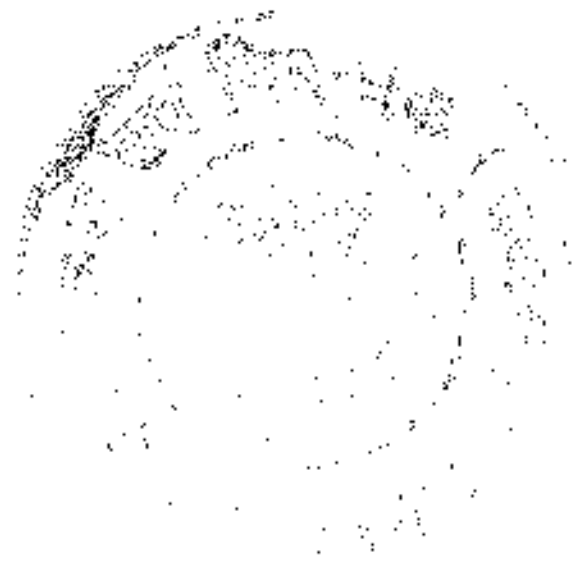




गणेश
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः

(Signature)
 (Signature)
 (Signature)

(Signature)
 (Signature)



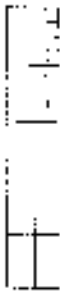


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ



ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

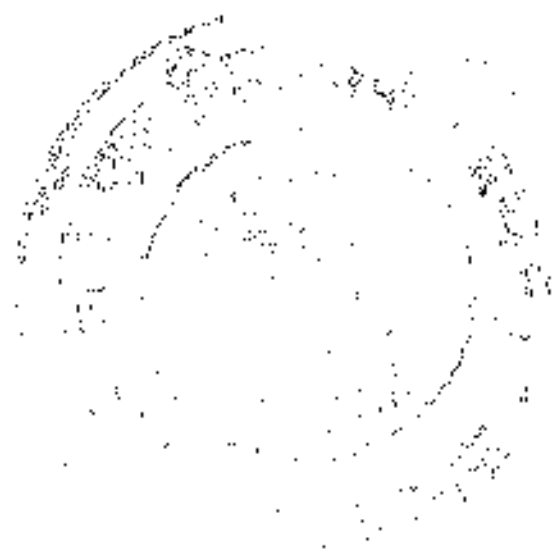


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



श्री १००० गज

श्री २००० गज

श्री ३००० गज

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

श्री ४००० गज

श्री ५००० गज

26.07.50, 043/2

पट्टा विलेख

513,048.00

(3000)

40

2,000

पंक्ति

वर्ग

आपत पर्वत किया

कोर विलेख

वक्त 4 घंटे 40 मिनट

कोर

2000

श्री

लड वि० प्र० द्वारा तहसीलदार विवेक कटिया

पुत्र श्री

अ० ए० ए० कटिया

आपत पर्वत

निली गाली

लड वि० प्र० द्वारा

अपत पर्वत

ने यह अपत पर्वत करवाया

दिनांक 21/7/2013

समय 3.15PM

को करवाया गया है।



रजिस्ट्रार/आधिकारी के हस्ताक्षर

वी०सी० सिंह

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

निष्पाद लेखक वर मुने व अपत पर्वत करवाया गया है।

पट्टा विलेख

पट्टा विलेख

31/7/2013

श्री लड वि० प्र० द्वारा तहसीलदार विवेक कटिया

कटिया

पुत्र श्री अ० ए० ए० कटिया

पेशा नौकरी

निवासी लड वि० प्र० लखनऊ



श्री भे०अ०सल प्र० ए० इन्फास, लि० द्वारा सुशील

कुमार सक्सेना

पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ



ने निष्पाद लेखक किया

निली गाली श्री विवेक कटिया

पुत्र श्री अ० ए० ए० कटिया

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

पुत्र श्री अ० ए० ए० कटिया

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

ने यह अपत पर्वत करवाया गया है।

रजिस्ट्रार/आधिकारी के हस्ताक्षर

वी०सी० सिंह

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013

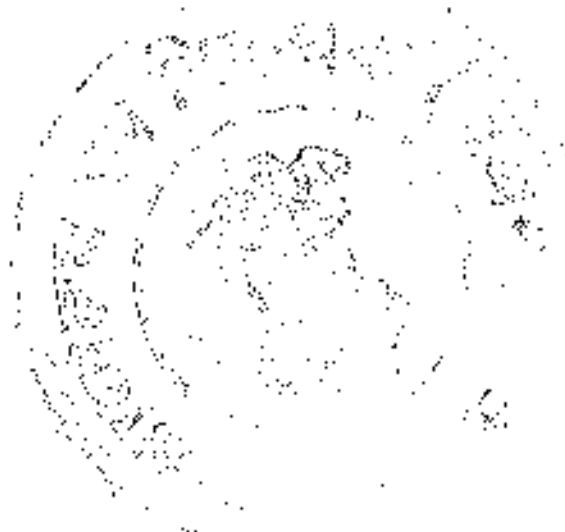
पददा गृहीता

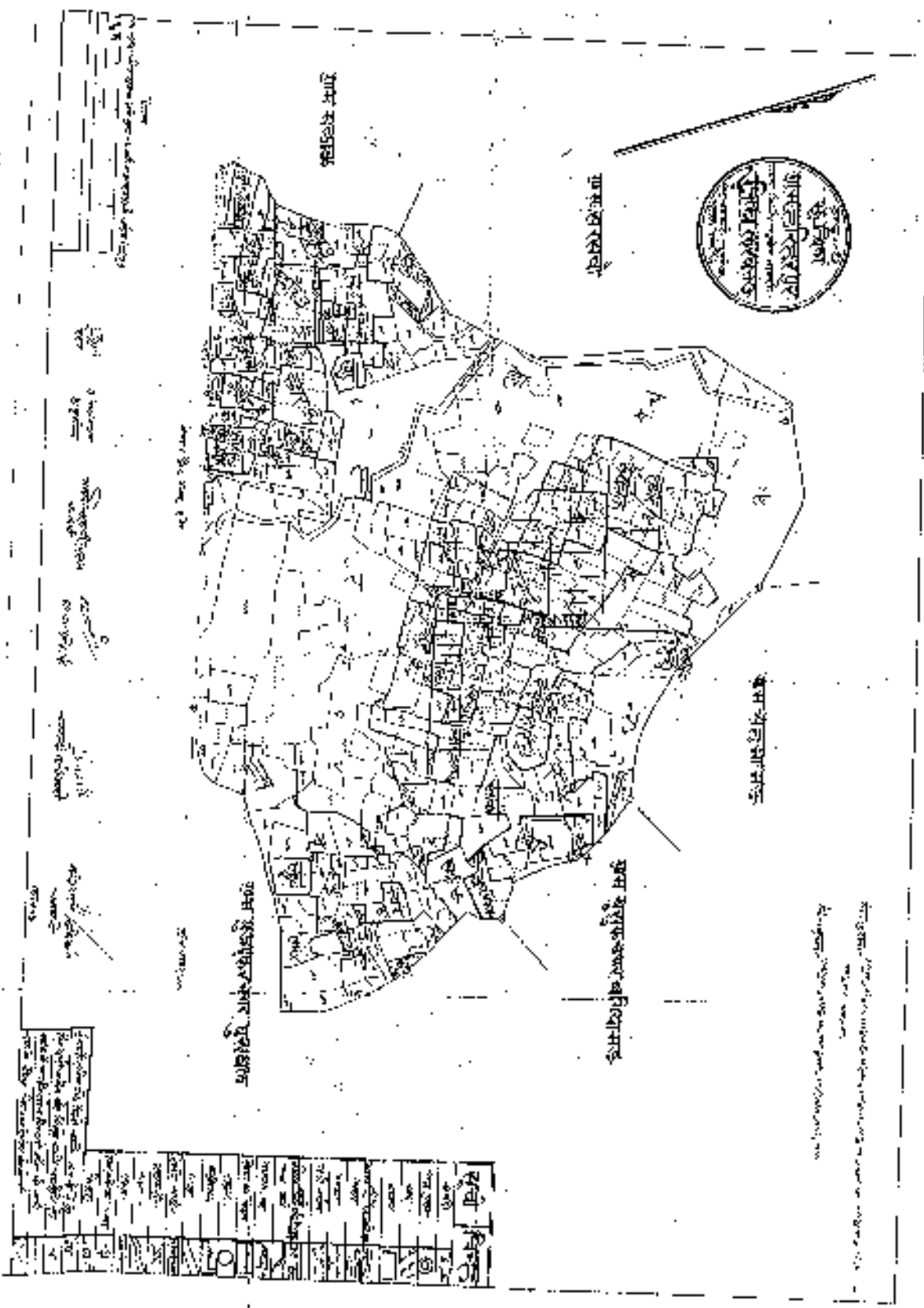
Registration No. : 14746

Year : 2012

Book No. : 1

0201 मेरी अन्तर्गत प्रो. ए. डी. इन्फार्मेटिक्स लि. द्वारा सुशील कुमार लक्खोना
लि. ए. ए. ल. ल. ल. ल.
13/10/12 द. 10/10/12 ल. ल. ल. ल.
ली. ल. ल.





श्रीमद् महादेव
 श्रीमद् महादेव
 श्रीमद् महादेव

श्रीमद् महादेव
 श्रीमद् महादेव
 श्रीमद् महादेव

पट्टा दाता

Registration No. : 14745

Year : 2013

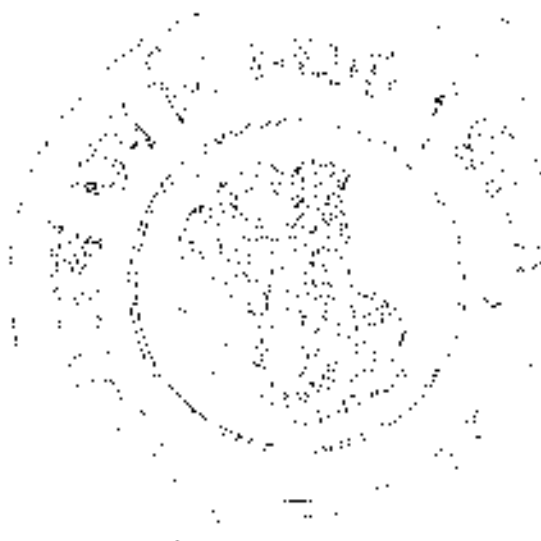
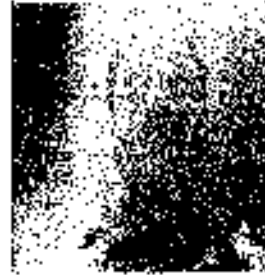
Book No. : 1

0101 ल० नि० प्रा० द्वारा नगर तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

आर० एम० नर्मदा

ज० नि० प्रा० नर्मदा

पेज





स्वीना गाउँपालिका-१

श्रीमान्नाम भुजङ्गेश्वरः पराच्य

लोसाग्रभवलोः॥

विद्यायां यथाविद्यया

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

जन्मदिनांक १९५४ ई.
अभिनेता
पिता

बेगमबाई चौक, मुंबई

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

श्रीगणेशाय नमः । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

~~(b)(7)(C) is not a FOIA exemption.~~

Submitted: 10/10/2014

प्राप्त दिनांक 31/07/2013 को

वही सं 1 विषय सं 16077

पृष्ठ सं 67 से 112 पर क्रमांक 14746

निर्दिष्ट दिनांक मध्य ।

परिष्कारण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेंद्र सिंह

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013

